




(म.प्र. शासन द्वारा स्वशासी घोषित)

Tel (O)	(0734)-2511912	e-mail	principal.uecu@gmail.com
Tel (R)	(0734)-2511413	Web-site	www.uecu.ac.in
Fax	(0734)-2511912		



क्रमांक/छा.वि./ 1725 /2023


उज्जैन दिनांक : 5/9/23

### // संशोधित आवश्यक सूचना //

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/1681/2023 दिनांक 31/08/2023 में आवश्यक सुधार किया जाता है। शैक्षणिक सत्र 2023-24 संस्था में अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि **मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना/मुख्यमंत्री जनकल्याण योजना** के पात्रताधारी छात्र-छात्रा निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ अपना आवेदन-पत्र **MPDTE** पोर्टल पर सबमिट कर छात्र-विभाग में अनिवार्य रूप से जमा करावेंगे।

क्रं.	योजना का नाम	सलंगन दस्तावेज
1	<b>मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना</b> पात्रता की शर्तें :- 1. JEE मेन्स परीक्षा में रैंक 1 लाख 50 हजार तक, 2. MP बोर्ड कक्षा 12वीं में 70 % एवं CBSE/ICSE परीक्षा में 85 % से अधिक, 3. पिता/पालक की वार्षिक आय 6 लाख रू. से कम	1. MPDTE पोर्टल पर आवेदन-पत्र, 2. म.प्र. मूल निवासी प्रमाण-पत्र, 3. JEE मेन्स परीक्षा रैंक 1 लाख 50 हजार के अन्तर्गत अंकसूची, 4. कक्षा 10वीं/12वीं की अंकसूची एवं पिछले समस्त सेमेस्टर्स की अंकसूची, 5. पिता/माता/पालक का नवीन आय प्रमाण-पत्र (शास. सेवक पिता/माता/पालक का कार्यालय द्वारा जारी आय प्रमाण-पत्र, 6. आधार कार्ड, 7. बैंक पासबुक, 8. संस्था में प्रवेश शुल्क की छायाप्रति, 9. स्थानांतरण प्रमाण-पत्र (TC), 10. SSSM कार्ड 11. उपरोक्त दस्तावेजों की छायाप्रतियाँ स्वप्रमाणित कर सलंगन करना अनिवार्य है।
2	<b>मुख्यमंत्री जनकल्याण योजना</b> पात्रता की शर्तें :- 1. म.प्र. शासन के श्रम विभाग में विद्यार्थी के माता/पिता का असंठित कर्मकार के रूप में जीवित पंजीयन हो।, 2. JEE मेन्स परीक्षा में रैंक 1 लाख 50 हजार तक, 3. पिता/ पालक की वार्षिक आय 6 लाख रू से कम	1. MPDTE पोर्टल पर आवेदन-पत्र, 2. म.प्र. मूल निवासी प्रमाण-पत्र, 3. JEE मेन्स परीक्षा रैंक 1 लाख 50 हजार के अन्तर्गत अंकसूची, 4. कक्षा 10वीं/12वीं की अंकसूची एवं पिछले समस्त सेमेस्टर्स की अंकसूची, 5. पिता/माता/पालक का नवीन आय प्रमाण-पत्र (शास. सेवक पिता/माता/पालक का कार्यालय द्वारा जारी आय प्रमाण-पत्र, 6. आधार कार्ड, 7. बैंक पासबुक, 8. संस्था में प्रवेश शुल्क की छायाप्रति, 9. स्थानांतरण प्रमाण-पत्र (TC), 10. SSSM कार्ड 11. उपरोक्त दस्तावेजों की छायाप्रतियाँ स्वप्रमाणित कर सलंगन करना अनिवार्य है।

- नोट :- 1. मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना सत्र 2017-18 से लागू।  
2. मुख्यमंत्री जनकल्याण योजना सत्र 2018-19 से लागू।  
3. पात्रताधारी समस्त विद्यार्थियों का स्वयं का बैंक खाता आधार से लिंक होना आवश्यक है।

  
प्राचार्य


उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज,  
उज्जैन

पृ. क्रमांक/छा.वि./ 1726 /2023

उज्जैन दिनांक : 5/9/23

प्रतिलिपी:-

1. मुख्य सूचना पटल।
2. प्रभारी अधिकारी, छात्रवृत्ति, उइका, उज्जैन।
3. संस्था पोर्टल प्रभारी उक्त सूचना को संस्था पोर्टल पर अपलोड करने की कार्यवाही करें।

  
प्राचार्य  
उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज,  
उज्जैन